THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Government has called upon the automobile industry to accelerate the pace of indigenisation to overcome the problem caused by the steep appreciation in the value of the Japanese Yen. It has been emphasised the fiscal reliefs alone cannot be a solution to neutralise the high import costs.

(b) Yes, Sir.

(c) Maruti Udyog Ltd., is accelerating a indigenisation programme through in-house manufacturing of components, vendor development, and setting up of joint ventures to produce critical components.

Inspection of the records of M/s. Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited

3311. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1353 given in the Rajya Sabha on the 9th March, 1987 and state:

(a) whether the inspection under section 209A of the Companies Act, 1956 of the books of accounts and other records of M/s. Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited and of its related companies has since been completed; and

(b) if so, what are the results thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अंग्रेजी में प्रवीणता परीक्षा

3312. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 23 जुलाई, 1987 के "जनसत्ता" के पृष्ठ 8 पर "हिन्दी में पढ़े वकीलों की मंत्र से फरियाद" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशि समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी माध्य से पढ़े वकीलों ने क्या अभ्यावेदन, यदि कोई है तो, भेजा है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रति क्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) (क) जी हां।

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के उपबंध के विरुद्ध, जिसमें ऐसे वि स्नातक से जिसकी शिक्षा का माध्य अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा रही है यह अपेक्षा की गई है कि वह अभ्यावेद की एक शर्त के रूप में अंग्रेजी भाषा प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करे, एक अभ्यावेद प्राप्त हुआ था।

(ग) सरकार के कहने पर भारती विधिज्ञ परिषद् ने तारीख 25-7-8 की अपनी बैठक में उस नियम को ल करने के लिए संकल्प पारित किया जिसमें अभ्यावेदन की एक शर्त के रू में संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की गई कि वह अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करे।

विधिज्ञ परिषद्

3313. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव विधि और न्याय** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल ऐसी कित विधिज्ञ परिषद (बार कांउसिल) हैं ज दिल्ली विधिज्ञ परिषद की तरह ही हि माध्यम से कानून पढ़े वकीलों वकालत नहीं करने दी जाती है और संबंध में "क" "ख" और "ग" क्षेत्रों अलग-अलग स्थिति क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा विधिज्ञ परिषदों द्वारा राजभाषा हिन्दी पर लगाई गई रोक को समाप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं, और यदि कोई प्रयत्न नहीं किए गए, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) राजभाषा "हिन्दी" और इसकी देवनागरी लिपि को उचित आदर और मान्यता देने में भारत के उच्चतम न्यायालय का क्या योगदान है ; और

(घ) राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करना प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है या नहीं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए नियमों में, अभ्यावेदन की एक शर्त के रूप में इस प्रभाव का उपबंध है कि ऐसे विद्यार्थियों को, जिन्होंने विधि की उपाधि अंग्रेजी से भिन्न भाषा के माध्यम से उत्तीर्ण की है, राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा संचालित अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता-परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । भारतीय विधिज्ञ परिषद ने इस नियम का लोप किए जाने का विनिश्चय किया है । विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है कि राज्य विधिज्ञ परिषदों को तदनुसार अनुदेश दिए जा रहे हैं ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 348 में यह उपबंध है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । किन्तु यदि पक्षकार अपना पिटीशन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करते हैं या व्यक्तिगत रूप से बहस करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें हिन्दी में ऐसा करने दिया जाए तो उन्हें ऐसा करने की प्रज्ञा दी जाती है । तथापि उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में यह उपबंध है कि न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोई भी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा में नहीं होगा ।

(घ) नागरिकों को ऐसे किसी मूल अधिकार की गारन्टी नहीं दी गई है । प्रत्येक व्यक्ति का, राजभाषा प्रयोग करने संबंधी अधिकार, संविधान के उपबंधों और संसद द्वारा बनाई गयी विधियों के अधीन है ?

Separate High Courts for North Eastern States

3314. SHRI JERLIE E. TARIANG: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up separate High Courts for different States in the North Eastern region; and

(b) if so, wha are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) It has been approved, in principle, that there should be separate High Courts for each of the States in north-eastern region; for this purpose, Parliamentary legislation is required.

Till separate High Courts are formed, it has been decided to establish permanent Benches of the Gauhati High Court in the Capitals of the States of the North-Eastern region, which require them, by issue of Presidential Orders after the requisite infrastructural facilities have been provided by the State authorities.

Petitions pending in Supreme Court

3315. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether a number of petitions have been pending in the Supreme Court of India for decision since long; and